पुलिन दास उर्फ पन्ना कोच

बनाम

असम राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 706/2007)

22 फरवरी, 2008

(पी.पी. नाओलेकर और पी. सदाशिवम, जे.जे.)

आतंकवादी एवं विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियमः

उपधारा 3(1) और 2(ii) - अभियोजन अंतर्गत-पुलिस छापा-अभियुक्त की गिरफ्तारी - हथियारों व गोला बारुदों की बरामदगी - नामित न्यायालय द्वारा दोषसिद्धी - अपील पर अभिनिर्धारित किया गया - दोषसिद्धी धारणीय नहीं है - पुलिसकर्मियों को शामिल करते हुए अभियोजन साक्षीगण ने प्रतिबंधित संगठन, अभियुक्त के उससे संबंध एवं अभियुक्त की गैरकानूनी गतिविधियों का उल्लेख नहीं किया है।

धारा 3(1) - परिस्थितियों की प्रयोज्यता की चर्चा की गई।

अपीलकर्ता-अभियुक्तगण को आतंकवादी एवं विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1987 की धारा 3 और 5 अंतर्गत अभियोजित किया गया। अभियोजन के अनुसार पुलिस दल द्वारा पी.ड.5 के मकान पर छापा मारा गया। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। उसके बाद दोनों

अपीलकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके कब्जे से हथियार और गोला-बारुद भी बरामद किये गये। अधिनियम की धारा 3/4/5 के आधार पर एफ.आई.आर. भी दर्ज की गई। आरोप विरचित किये गये। नामित न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को धारा 3(1) और धारा 3(2)(ii) अंतर्गत दोषसिद्ध किया। तथापि उन्हें अधिनियम की धारा 5 अंतर्गत दोषमुक्त किया गया। इसलिये वर्तमान अपीलें दायर की गई।

अपीलों को स्वीकार करते हुए, न्यायालय नेः

अभिनिर्धारित कियाः 1.1 आतंकवादी एवं विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1987 कर धारा 3(1) से यह स्पष्ट है कि जो कोई (i) विधि द्वारा स्थापित सरकार को डराने या; (ii) लोगों या लोगों के किसी वर्ग में आतंक फैलाने या; (iii) लोगों के किसी वर्ग को अलग-थलग करने या; (iv) विभिन्न वर्ग के लोगों के मध्य सद्भाव को प्रतिकूल रुप से प्रभावित करने के आशय से (a) बमों या बारुदों, या (b) कोई अन्य विस्फोटक पदार्थों, या (c) ज्वलनशील पदार्थों, या (d) अग्नेयास्त्रों, या (e) अन्य घातक हथियारों, या (f) विषों या हानिकारक गैसों या अन्य रसायनों, या (g) खतरनाक प्रकृति के कोई अन्य पदार्थ (चाहे जैविक या अन्यथा) का उपयोग कर कोई कृत्य या वस्तु इस प्रकार करता है, जिससे कारित होती है या कारित होना संभाव्य है; (i) मृत्यु, या (ii) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को क्षति, या (iii) संपत्ति की हानि या विनाश, या (iv) किसी

आपूर्ति की या समुदाय के जीवन के लिये आवश्यक सेवाओं की बाधा, या (v) सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या करने से रोकने के लिये मजबूर करने के क्रम में किसी व्यक्ति हिरासत में लेता है और ऐसे व्यक्ति को जान से मारने या घायल करने की धमकी देता है, उक्त धारा के अधीन दण्डनीय 'आतंकवादी कार्य' करता है।

करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य **1994 (3) एस.सी.सी. 569 का अनुसरण किया गया।**

हितेन्द्र विष्णु ठाकुर व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य **1994 (4) एस.सी.सी. 602** राज्य जरिये पुलिस अधीक्षक, सी.बी.आई./एस.आई.टी. बनाम नलिनी व अन्य **1999 (5) एस.सी.सी. 253 पर भरोसा किया गया।**

उस्मान भाई दाउद भाई मेमन व अन्य बनाम गुजरात राज्य **1988 (2) एस.सी.सी. 271;** निरंजन सिंह करम सिंह पंजाबी, अधिवक्ता बनाम जितेन्द्र भीमराज बिज्या व अन्य**, 1990 (4) एस.सी.सी. पर भरोसा किया गया।**

1.2 एक गतिविधि जिसे टाडा की धारा 3 (1) के तहत दंडित करने की मांग की गई है, वह ऐसी होनी चाहिए जिसे मात्र कानून एवं व्यवस्था की समस्या या लोक व्यवस्था के व्यवधान या किसी विनिर्दिष्ट स्थान के समूह के जीवन में व्यवधान के रुप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता लेकिन ऐसी प्रकृति की है, जिससे सामान्य दाण्डिक विधि के अधीन एक

सामान्य आपराधिक गतिविधि के रुप में सामान्य कानून प्रवर्तन से नहीं निपटा जा सके क्यूंकि 'आतंकी' की आपराधिक गतिविधि का आशायित विस्तार और पहुंच इस प्रकार का है, जो मात्र 'खतरनाक प्रकृति' के लोक व्यवस्था के व्यवधान से भी परे जाता है और कई बार स्थानीय सीमाओं को अतिक्रमित करती है और लोकतांत्रिक राजनीति में देश की अखण्डता और संप्रभुता पर चुनौती देने वाली राष्ट्रविरोधी गतिविधियोें को सम्मिलित करती है। नामित न्यायालय को यांत्रिक रूप से कार्य नहीं करना चाहिए और यह जांच किए बिना दोषसिद्धि दर्ज नहीं करनी चाहिए कि अभियोजन पक्ष के सबूतों से धारा 3 (1) के तहत अपराध बनता है या नहीं। (पैरा 9) (267-एच; 268-ए, बी, सी)

1.3 प्रकरण के तथ्यों में और धारा 3 (1) को आकर्षित करने के लिये सख्त अनुपालना के प्रकाश में, धारा 3 (1) अंतर्गत दोषसिद्धी और टाडा अधिनियम धारा 3 (1) की उपधारा (2)(ii) अंतर्गत दण्ड धारणीय नहीं हो सकता है। अभियोजन दोनों अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप को स्थापित करने में बुरी तरह असफल रहा है। नामित न्यायालय ने पी.ड.5 और 6 द्वारा आतंकवादी संगठन उल्फा का संदर्भ दिये जाने मात्र पर आधारित अभियोजन प्रकरण को स्वीकार कर भूल की है। वस्तुतः, दोनों द्वारा कहा गया कि वह पुलिस ही थी, जिसके द्वारा उजागर किया गया कि उनके द्वारा उल्फा के दो आदमियों से कुछ हथियार बरामद किये गये हैं और यह उनका अभिकथन नहीं था। न तो पी.ड.5 व 6 न ही परीक्षित

किये गये उप अधीक्षक पुलिस सहित शेष सात पुलिसकर्मी ने प्रतिबंधित संगठन-उल्फा और धारा 3(1) के संदर्भ में आरोपी व्यक्तिओं की कथित गैरकाननी गतिविधियों के बारे में कोई शब्द नहीं कहा है। ये तात्विक पहलू नामित न्यायालय द्वारा उल्लेखित नहीं किये गये हैं।

1.4 इस प्रकृति के प्रकरण में, विशेष तौर पर, धारा 3 की उपधारा (1) के साथ-साथ धारा 20 ए के यथा प्रावधित कठोर प्रावधानों के प्रकाश में; जो आदेशित करते हैं कि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को कारित करने की सूचना पुलिस द्वारा उप अधीक्षक की पूर्व अनुमति के बिना अभिलिखित नहीं किया जावेगा और पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस आयुक्त की पूर्व स्वीकृति के बिना इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का कोई न्यायालय प्रसंज्ञान नहीं लेगा, पी.ड.9 डी.एस.पी. द्वारा उल्फा संगठन, इसकी गतिविधियां और आरोपी व्यक्तियों के कथित संबंध के सभी विवरणों को स्पष्ट किया जाना चाहिए था। उपरोक्त सुसंगत सामग्री के संबंध जिले के उच्चतम पुलिस अधिकारी, यथा, पुलिस अधीक्षक या समकक्ष अधिकारी को परीक्षित करवाया जाना अभियोजन का परम कर्तव्य था। (पैरा 22)(272-बी, सी, डी)

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता: आपराधिक अपील संख्या 706 वर्ष 2007।

टाडा सेशन प्रकरण संख्या 1/1996 में न्यायाधीश, नामित न्यायालय के निर्णय एवं अंतिम आदेश दिनांक 19/04/2007 से।

साथ में

आपराधिक अपील संख्या 836 वर्ष 2007।

आपराधिक अपील संख्या 706 वर्ष 2007 में अपीलार्थी की ओर से नितिन सांगरा, वी.डी. खन्ना एवं सत्यजीत साहा।

आपराधिक अपील संख्या 836 वर्ष 2007 में अपीलार्थी की ओर से विजय हंसारिया, असीम मल्होत्रा, शैफाली जैन एवं अभिजीत पी. मेध

अविजित राॅय एवं रंजन मजूमदार (मैसर्स काॅर्पोरेट विधि समूह की ओर से) प्रत्यर्थीगण की ओर से।

न्यायालय का निर्णय पारित किया गया

पी. सदाशिवम, जे. 1) आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1987 (इसके बाद टाडा अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 19 के तहत ये अपीलें असम, गौहाटी में नामित न्यायाधीश के टाडा सेशन प्रकरण संख्या 1/1996 दिनांक 19.04.2007 के आम फैसले के खिलाफ निर्देशित हैं, जिसके तहत नामित न्यायाधीश ने 2007 की आपराधिक अपील संख्या 706 में अपीलकर्ता पुलिन दास उर्फ पन्ना कोच और 2007 की आपराधिक अपील संख्या 836 में अपीलकर्ता महेंद्र सैकिया उर्फ दिलीप सैकिया को टाडा अधिनियम की धारा 3(2) के

तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और उन्हें पांच साल के लिए कठोर कारावास भुगतने और 500/- रुपये का जुर्माना भरने, जुर्माने के व्यतिक्रम में अतिरिक्त छह माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

2) संक्षेप में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैंः

08.12.1993 की रात को गुप्त सूचना पर एसपी सोनितपुर और एसडीपीओ बिश्वनाथ चारियाली के नेतृत्व में पुलिस पार्टी ने उदय छेत्री के घर पर छापेमारी की. यह आरोप लगाया गया कि उग्रवादी ने पुलिस पार्टी पर गोलीबारी की और पुलिस पार्टी ने भी आत्मरक्षा में गोलीबारी की और इस तरह दोनों ओर से गोलीबारी हुई और उसके बाद आपराधिक अपील संख्या 706 वर्ष 2007 में अपीलकर्ता पुलिन दास उर्फ पन्ना कोच और आपराधिक अपील संख्या 836 वर्ष 2007 में अपीलकर्ता महेंद्र सैकिया उर्फ दिलीप सैकिया को पकड़ लिया गया और उनके कब्जे से हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया। उपरोक्त घटना के आधार पर, एफ.आई.आर. संख्या 187/1993 दर्ज की गई और पुलिस ने टाडा अधिनियम की धारा 3/4/5 के तहत मामला दर्ज किया। 17.12.1995 को दोनों आरोपियों के खिलाफ एफ.आई.आर. संख्या 187/1993 में आरोप पत्र संख्या 101/1995 दायर किया गया। 30.08.2006 को, अपीलकर्ता-अभियुक्तों के बयान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए थे। अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में नौ गवाहों को

परीक्षित किया और जब्ती सूची (प्रदर्श 1), एफ.आई.आर. (प्रदर्श 2), स्केच मैप (प्रदर्श 3), विशेषज्ञ रिपोर्ट (प्रदर्श 4), अभियोजन स्वीकृति (प्रदर्श 5) और आरोप पत्र (प्रदर्श 6) एवं जब्त किए गए हथियारों और गोला-बारूद (आर्टिकल 1-4) को भी प्रदर्शित किया। नामित न्यायालय, असम, गौहाटी ने इस स्तर पर अपीलकर्ताओं को टाडा की धारा 3(2)(ii) के तहत दोषी ठहराया और उनमें से प्रत्येक को पांच साल के कठोर कारावास और 500/- रुपये का जुर्माना भरने, व्यतिक्रम में अगले छह माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। तथापि, नामित अदालत ने आरोपी व्यक्तियों को टाडा अधिनियम की धारा 5 के तहत बरी कर दिया क्योंकि अनधिकृत हथियार और गोला-बारूद रखने के लिए कोई सबूत उपलब्ध नहीं था। उक्त निर्णय से व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने इस न्यायालय के समक्ष अलग-अलग अपीलें दायर कीं।

3) 2007 की आपराधिक अपील संख्या 706 में अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नितिन सांगरा और 2007 की आपराधिक अपील संख्या 836 में अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विजय हंसारिया और असम राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता अविजित राॅय को सुना गया।

4) चूंकि दोनों अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों को केवल टाडा अधिनियम की धारा 3(2)(पप) के तहत दोषी ठहराया गया था, इसलिए उक्त प्रावधान का संदर्भित उपयोगी है।

> **"3. आतंकवादी कृत्यों के लिए सजा-** (1) जो भी कानून द्वारा स्थापित सरकार को भयभीत करने या लोगों या लोगों के किसी भी वर्ग में आतंक पैदा करने या लोगों के किसी भी वर्ग को अलग-थलग करने या लोगों के विभिन्न वर्गों के बीच सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के इरादे सेकोईकार्य करता है या बम, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ या आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार या जहर या हानिकारक गैसों या अन्य रसायनों या खतरनाक प्रकृति के किसी भी अन्य पदार्थ (चाहे जैविक या अन्यथा) का इस तरह से उपयोग करके कि, या जिससे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु, या चोट लगने, या संपत्ति की हानि, या क्षति, या विनाश या समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक किसी भी आपूर्ति या सेवाओं में व्यवधान होने की संभावना है, या किसी को हिरासत में लिया जा सकता है। व्यक्ति और सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए बाध्य करने या करने

से रोकने के लिए ऐसे व्यक्ति को मारने या घायल करने की धमकी देता है, आतंकवादी कार्य करता है।

(2) जो कोई आतंकवादी कृत्य करेगा-

(i) यदि ऐसे कृत्य के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(ii) कोई अन्य मामले में, कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना के लिये भी उत्तरदायी होगा।

5) **करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य**, (1994) 3 एससीसी 569 में, धारा 3 और 4 की वैधता और प्रभावकारिता पर निम्नलिखित आधारों पर हमला किया गया था,-

(1) ये दो धाराएं उन कृत्यों को सम्मिलित करती हैं जो भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम जैसे सामान्य कानूनों के तहत अपराध का गठन करती है।

(2) ऐसा कोई मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित नहीं है कि कब कार्यपालिका सामान्य कानूनों के तहत या 1987 के इस लागू अधिनियम के तहत आगे बढ़ सकती है; और

(3) इस अधिनियम और इसकी धारा 3 और 4 को **पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार,** एआईआर 1952 एससी 75 में निर्धारित और **ए.आर. अंतुले बनाम भारत संघ व अन्य** सहित अन्य कई मामलों में अनुसरित सिद्धांत के आधार पर रद्द किया जाना चाहिए। (1988) 2 एससीसी 764।

धारा 3 और 4 की वैधता को बरकरार रखते हुए, संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि यह अधिनियम बहुत कठोर और कड़े प्रावधानों वाला है और इसमें न्यूनतम दंड और कुछ अन्य अपराधों के लिए बढ़े हुए दंड का भी प्रावधान है। सामान्य प्रक्रियात्मक कानून के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं से हटकर, मामलों के त्वरित निपटान के उद्देश्य से विशेष प्रक्रियाओं को निर्धारित करने वाले प्रावधान स्पष्ट रूप से उन कारणों से हैं कि प्रचलित सामान्य प्रक्रियात्मक कानून आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों में लिप्त अपराधियों से निपटने के लिए अपर्याप्त और पर्याप्त रूप से प्रभावी नहीं पाया गया। द्वितीयतः यह कि उत्तेजित अपराध आतंकवादियों और विघटनकारियों की गतिविधियों से उत्पन्न हो रहे हैं, जो

भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करते हैं या बाधित करने का आशय रखते हैं या जो किसी भी हिस्से के कब्जे के लिए किसी भी दावे को ला सकते हैं या उसका समर्थन कर सकते हैं जो भारत का या भारत के किसी भी हिस्से को संघ से अलग करने के लिये है और जो लोगों के मन में आतंक व असुरक्षा की भावना पैदा करता है। इसके अलावा विधायिका ने अपराधों की गंभीर प्रकृति से अवगत होने के कारण इस कानून के तहत प्रक्रिया में यह भारी बदलाव लाया है ताकि कानून का उद्देश्य विफल और निरस्त न हो।

6) **हितेंद्र विष्णु ठाकुर और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य,** (1994) 4 एससीसी 602 में, धारा 3(1) और (2) पर विचार करते हुए, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीश पीठ ने **करतार सिंह प्रकरण** (उपर वर्णित), **उस्मानभाई दाऊदभाई मेमन और अन्य बनाम गुजरात राज्य,** (1988) 2 एससीसी 271 और **निरंजन सिंह करम सिंह पंजाबी, अधिवक्तागण बनाम जितेंद्र भीमराज बिज्जया और अन्य**, 4 (1990) 4 एससीसी 76 के पर भरोसा करते हुए यह अभिनिर्धारित किया-

"11.....इस प्रकार, जब तक कि जिस कृत्य के बारे में शिकायत की गई है वह पूरी तरह से टाडा की धारा 3(1) के अंतर्गत अक्षरशः नहीं आता है और उस धारा द्वारा परिकल्पित आशय के साथ हथियारों आदि के माध्यम से कारित नही किया जाता है, जैसा कि उसमें

उल्लिखित उद्देश्य के साथ किया गया है, टाडा की धारा 3(1) के तहत किसी अपराध के लिए किसी आरोपी पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता या उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जब धारा 3(1) द्वारा परिकल्पित इरादे से किए गए अपराध की सीमा और पहुंच स्थानीय बाधाओं को पार कर जाती है और आपराधिक कृत्य का प्रभाव अन्य राज्यों या क्षेत्रों में महसूस किया जा सकता है या उस परिणाम को वहां महसूस करने की संभावना होती है, धारा 3(1) के प्रावधान निश्चित रूप से आकर्षित होंगे। इसी तरह, यदि यह केवल आपराधिक कृत्य के परिणामस्वरूप होता है कि भय, आतंक या/और दहशत पैदा होती है, लेकिन विशेष अपराध करने का इरादा धारा 3(1) द्वारा सख्ती से परिकल्पित नहीं किया जा सकता है, तो टाडा के तहत किसी आरोपी पर मुकदमा चलाने या उसे दोषी ठहराने और दंडित करने की अनुमति नहीं है। धारा द्वारा परिकल्पित परिणाम प्राप्त करने के इरादे से अपराध कारित किया जाना, न कि केवल जहां आरोपी द्वारा किए गए अपराध के निष्कर्ष उस परिणाम को बनाते हैं; टाडा की धारा 3 (1) के प्रावधानों को आकर्षित करेगा। इस प्रकार, उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति गोलीबारी करता है और कई लोगों को मार डालता है, तो इससे इलाके में आतंक और आतंक पैदा होना स्वाभाविक है, लेकिन यदि यह धारा में अपेक्षित आशय से नहीं किया गया है, तो अपराध धारा 3(1) को आकर्षित नहीं करेगा। दूसरी ओर, यदि कोई अपराध आतंक या आतंक पैदा करने या लोगों के एक वर्ग को अलग-थलग करने या सद्भाव को

बिगाड़ने आदि के इरादे से किया गया था, तो यह टाडा के तहत दंडनीय होगा, भले ही कोई भी न मारा गया हो और केवल कुछ व्यक्ति जो घायल हुए हों या संपत्ति को कोई क्षति आदि हुई हो, तो टाडा की धारा 3(1) के प्रावधान पूरी तरह से आकर्षित होंगे। जहां अपराध विधि द्वारा स्थापित सरकार को भयभीत करने या लोगों के किसी वर्ग को अलग-थलग करने या लोगों के विभिन्न वर्गों के बीच सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की दृष्टि से और धारा 3(1) में निर्दिष्ट तरीके से किया गया हो तो, यह मानने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि ऐसा अपराध उक्त प्रावधान के सीमा और दायरे में आता है।

12. हाल ही में, हमारे सामने ऐसे कुछ मामले आए हैं जहां नामित न्यायालयों ने टाडा के तहत किसी आरोपी व्यक्ति पर आरोप पत्र दायर किया है और/या उसे दोषी ठहराया है, भले ही निर्णायक रूप से नहीं, यहां तक कि प्रथम दृष्टया भी ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सके, कि अपराध टाडा के प्रावधानों के अनुसार इरादे से किया गया था, केवल जांच एजेंसी के इस बयान पर कि आपराधिक कृत्य के परिणाम के निष्कर्षस्वरूप समाज या उसके एक हिस्से में दहशत या भय पैदा हुआ। ऐसे आदेशों से टाडा का दुरुपयोग होता है। संसद ने टाडा की धारा 20-ए के माध्यम से टाडा के तहत अपराधों को धारा 20 ए (1) के समान ही गंभीरता से लेने का अपना इरादा स्पष्ट रूप से प्रकट किया है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए भी, टाडा के तहत

जिला पुलिस अधीक्षक की पूर्व मंजूरी के बिना अपराध होने के बारे में कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा और धारा 20-ए (2) के तहत, कोई भी अदालत निर्धारित अधिकारियों की पूर्व मंजूरी के बिना टाडा के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी। इस प्रकार टाडा के प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से अधिनियम में धारा 20-ए पेश की गई थी।

13. इसलिए, हम इस स्तर पर केवल इसलिए क्योंकि जांच के किसी चरण में जांच अधिकारी उसी (कुछ ऐसे ही) प्रावधानों के तहत आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध जोड़ना चुनता है; नामित न्यायालयों को टाडा के प्रावधानों को लागू करने के संबंध में चेतावनी देना चाहेंगे, किसी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ टीएडीए का इस्तेमाल अक्सर अग्रिम या अन्यथा जमानत देने का विरोध करते समय किया जाता है। नामित न्यायालयों को हमेशा रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए और यह देखने के लिए अपना दिमाग लगाना चाहिए कि क्या टाडा के प्रावधान प्रथम दृष्टया भी आकर्षित होते हैं।

15. इस प्रकार, धारा 3(1) का वास्तविक सीमा और क्षेत्र यह है कि टाडा की धारा 3(1) के तहत कोई भी दोषसिद्धि तब तक दर्ज नहीं की जा सकती जब तक कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य यह स्थापित न कर दें कि धारा में बताए गए हथियारों आदि के माध्यम से और उक्त धारा द्वारा बताए गए उद्देश्य से, अपराध उस आशय से किया गया था जैसा कि धारा

3(1) में परिकल्पित है। दोहराव की कीमत पर भी, हम कह सकते हैं कि जहां केवल आरोपी के आपराधिक कृत्य का परिणाम है कि आतंक, भय या दहशत पैदा होती है, लेकिन अपराध उस आशय से धारा द्वारा परिकल्पित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, नहीं किया गया था जैसा कि धारा 3(1) में परिकल्पित है; किसी आरोपी को टाडा की धारा 3(1) के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 3(1) के तहत आरोप लगाने के लिए, आतंक या त्रास आदि का आशय वास्तव में उक्त धारा द्वारा परिकल्पित परिणाम प्राप्त करना होना चाहिए, न कि यह केवल एक आकस्मिक विवाद या आपराधिक गतिविधि का परिणाम हो। प्रत्येक अपराध, समाज के खिलाफ विद्रोह होने के कारण, कुछ हिंसक गतिविधि शामिल करता है जिसके परिणामस्वरूप कुछ हद तक त्रास होता है या लोगों या उसके एक वर्ग में कुछ भय या आतंक पैदा होता है, लेकिन जब तक कि त्रास, भय या आतंक का आशय नहीं था और धारा 3(1) में परिकल्पित उद्देश्यों में से किसी भी प्राप्त करने की कोशिश नहीं की गई थी; अपराध टाडा के अंतर्गत नहीं आएगा। इसलिए, जैसा कि करतार सिंह मामले में संविधान पीठ द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था: (एससीसी पृष्ठ 759, पैरा 451)

> "धारा 3 तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति न केवल सरकार को भयभीत करने या लोगों में आतंक पैदा करने आदि का आशय रखता है, बल्कि वह हथियारों

और गोला-बारूद का उपयोग करता है जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाती है या मृत्यु और संपत्ति आदि को नुकसान होने की संभावना होती है। दूसरे शब्दों में, एक व्यक्ति आतंकवादी बनता है या आतंकवादी गतिविधि का दोषी होता है जब आशय, कार्रवाई और परिणाम तीनों तत्व मौजूद पाए जाते हैं।"

7) **राज्य जरिये पुलिस अधीक्षक, सीबीआई/एसआईटी बनाम नलिनी और अन्य,** (1999) 5 एससीसी 253 में, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीश पीठ ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया कि-

544. "टाडा की धारा 3 के तहत कोई आतंकवादी कृत्य करने के लिए तीन आवश्यक शर्तें मौजूद होनी चाहिए और ये धारा 3 की उप-धारा (1) में निहित हैं- (1) आपराधिक गतिविधि अपेक्षित आशय या उद्देश्य से की जानी चाहिए, (2) हथियारों का उपयोग किया जाना चाहिए, और (3) परिणाम सामने आना चाहिए।"

8) इस न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में प्रयुक्त और व्याख्या की गई भाषा के आलोक में, धारा 3(1) से यह स्पष्ट है कि जो कोई (i) कानून द्वारा स्थापित सरकार को भयभीत करने; या (ii) लोगों या लोगों के किसी भी वर्ग में आतंक पैदा करने; या (iii) लोगों के किसी भी वर्ग को

अलग-थलग करने; या (iv) लोगों के विभिन्न वर्गों के बीच सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के आशय से, (ए) बम या डायनामाइट, या (बी) अन्य विस्फोटक पदार्थ, या (सी) ज्वलनशील पदार्थ, या (डी) आग्नेयास्त्रों, या (ई) अन्य घातक हथियार, या (एफ) जहर या हानिकारक गैसें या अन्य रसायन, या (जी) खतरनाक प्रकृति का कोई अन्य पदार्थ (चाहे जैविक या अन्यथा) का इस तरह से उपयोग करके कोई कार्य या चीजें करता है जिससे कि (i) मृत्यु, या (ii) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को चोट लगना, (iii) संपत्ति की हानि या क्षति या विनाश, या (iv) समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक किसी भी आपूर्ति या सेवाओं में व्यवधान कारित होता है या होना संभाव्य है, या (अ) किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेता है और सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए मजबूर करने या ऐसा करने से रोकने के लिए ऐसे व्यक्ति को मारने या घायल करने की धमकी देता है, उक्त धारा के तहत दंडनीय ''आतंकवादी कार्य'' करता है।

9) इसी को दृष्टिगत रखते हुए, जिस गतिविधि को टाडा की धारा 3(1) के तहत दंडित करने की मांग की जाती है, वह ऐसी होनी चाहिए जिसे केवल कानून और व्यवस्था की समस्या या लोक व्यवस्था के व्यवधान या किसी विर्निदिष्ट स्थानीय समूह के जीवन की गति में व्यवधान के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है बल्कि ऐसी प्रकृति की है, जिसे सामान्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा सामान्य दंड कानून के तहत एक सामान्य आपराधिक गतिविधि के रूप में नहीं निपटाया जा

सकता है क्योंकि 'आतंकवादी' की आपराधिक गतिविधि का आशायित विस्तार और पहुंच ऐसी है, जो यहां तक कि "विषैली प्रकृति" के लोक व्यवस्था के व्यवधान की गंभीरता से परे जाती है और कभी-कभी इलाके की सीमाओं को पार कर सकती है और इसमें ऐसी राष्ट्र-विरोधी गतिविधियां शामिल हो सकती हैं, जो अपनी लोकतांत्रिक राजनीति में देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए चुनौती पैदा करती हैं। नामित न्यायालय को यंत्रवत् कार्य नहीं करना चाहिए और यह जांच किए बिना दोषसिद्धि दर्ज नहीं करनी चाहिए कि अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए सबूतों से धारा 3 (1) के तहत अपराध बनता है या नहीं।

10) हालांकि अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों पर धारा 3(1) और (2) के साथ-साथ हथियार और गोला-बारूद रखने के लिए धारा 5 के तहत आरोप लगाए गए थे, क्योंकि राज्य द्वारा अपील के अभाव में, नामित न्यायालय ने स्वयं उन्हें धारा 5 के तहत अपराध के संबंध में बरी कर दिया था, इस पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

11) अब, हम विचार करें कि क्या अभियोजन ने टाडा अधिनियम की धारा 3(2)(ii) के तहत आरोप स्थापित किया है। अपने दावे के समर्थन में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गए मौखिक साक्ष्य पर जाने से पहले, चूंकि प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने हमें आरोप-पत्र (अनुलग्नक 3) के तथ्यों को देखने के लिए जोर दिया था,

इसलिए हमने उनका सत्यापन किया। शिकायतकर्ता से प्राप्त लिखित ईजहार को एफआईआर माना गया है। आरोप-पत्र के खंड 7 के अंतर्गत उपलब्ध निम्नलिखित सामग्री इस प्रकार हैः-

> "मामले का तथ्य यह है कि 8.12.93 को गुप्त सूचना पर, यह ज्ञात हुआ कि उल्फा संगठन के कुछ सदस्यों ने ढेकियाजुली पीएस के अधीन क्रिश्चियन पुरा में स्थित उदय छेत्री के घर में शरण ली है, तदनुसार, उक्त घर को संगठन के सदस्यों द्वारा घेर लिया गया। इसके बाद संगठन के सदस्यों (1) पुलिन दास उर्फ पन्ना कोच, (2) मोहेंद्र सैकिया उर्फ दिलीप सैकिया को गिरफ्तार कर लिया गया।
>
> इनके कब्जे से एक रिवाल्वर, एक 303 राइफल, एक स्टैंड गन और कुछ कारतूस बरामद किये गये। बता दें कि जब उन्हें पकड़ा गया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद दोनों ओर से गोलीबारी हुई। तदनुसार, टाडा अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया और अनुसंधान प्रारंभ किया गया।"

आरोपपत्र में कहा गया है कि आरोपी उल्फा संगठन के सदस्य हैं। आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने नौ गवाहों को परीक्षित करवाया गया।

12) पी.डब्ल्यू. 1 - अब्दुल रहमान, एक कांस्टेबल, जो पुलिस दल के अन्य सदस्यों के साथ क्रिश्चियनबस्ती की ओर गया था, उसने आरोपियों, विशेषकर उनकी गतिविधियों के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। उसने केवल इतना कहा कि "पुलिस ने उस घर के दो निवासियों को गिरफ्तार किया और कुछ हथियार और गोला-बारूद जब्त किया।" जिरह में उसने स्वीकार किया कि वह घर से दूर था और उसने यह नहीं देखा कि किसने फायरिंग की और उसे यह भी नहीं पता कि किसी बंदूक से गोली चलाई गई थी या नहीं। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसे नहीं पता कि आरोपी व्यक्तियों के पास से कोई हथियार और गोला-बारूद या कोई अन्य सामान जब्त किया गया था या नहीं।

13) पुलिस कर्मियों में से एक, नंदराज शर्मा, जो पी.डब्ल्यू. 5 के घर गए थे, उसे पी.डब्ल्यू. 2 के रूप में परीक्षित किया गया। उसने मुख्य रूप से उस आवास में हथियार और गोला-बारूद रखने का उल्लेख किया जहां आरोपियों को पकड़ा गया था। जिरह में उसने बताया कि घटनास्थल से 6/7 खाली कारतूस बरामद किये गये थे. उसने आगे बताया कि जिस घर में आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, उसके अंदर पांच या छह लोग थे और उस घर में महिलाएं भी थीं। उसके मुताबिक उसे नहीं पता कि घर के अंदर से किसने फायरिंग की. उसने आरोपियों के चरित्र और गतिविधियों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा।

14) फुलेश्वर कोंवर नाम के एक अन्य पुलिसकर्मी से पी.डब्ल्यू. 3 के रूप में परीक्षित हुआ। हालाँकि उन्होंने घटना के बारे में अधिक जानकारी दी, विशेष रूप से घर से गोलीबारी, पुलिस कर्मियों द्वारा पराभूत करना, घर में प्रवेश करना, दो आरोपियों को पकड़ना और हथियार और गोला-बारूद जब्त करना और जब उसे परीक्षित किया गया तो उसने अदालत में दोनों आरोपियों की पहचान भी की। उसने प्रतिबंधित संगठन (उल्फा) या आरोपियों और उनकी गतिविधियों के बारे में भी कुछ नहीं कहा। दूसरी ओर, उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उसे नहीं पता कि गिरफ्तार आरोपी किसी प्रतिबंधित संगठन से जुड़े थे या नहीं। दूसरे शब्दों में, अभियोजन पक्ष के मुख्य गवाह ने भी प्रतिबंधित संगठन (उल्फा) से उनके संबंध और गैरकानूनी गतिविधियों के बारे में कुछ भी नहीं बताया

15) अगले गवाह फुलेश्वर दास से, जो पुलिस कर्मियों में से एक है, पी.डब्ल्यू. 4 के रूप में परीक्षित हुआ। हालाँकि उसने बताया कि उसने घटनास्थल पर कुछ गोलीबारी सुनी थी, लेकिन उसने आरोपियों और उनकी गतिविधियों के बारे में कुछ नहीं कहा।

16) प्रश्नगत घर के निवासी श्री उदय छेत्री से पी.डब्ल्यू. 5 के रूप में पूछताछ की गई। उसके अनुसार 08.12.1993 को एक कीर्तन समारोह में भाग लेने के बाद वह रात 10 बजे घर लौटा तो उसकी पत्नी ने उसे बताया कि दो मेहमान आए हैं और वे खाना खाकर सो रहे हैं। भोजन के बाद वह भी बिस्तर पर लौट आये। न्यायालय के समक्ष उनके

द्वारा दिया गया निम्नलिखित बयान प्रासंगिक है और इसे यहां पुनः प्रस्तुत किया गया हैः -

> "आधी रात करीब 12.30 बजे मैंने घर में गोलीबारी की आवाज सुनी। डर के मारे हम लोग बाहर नहीं निकले. इसके बाद पुलिस ने हमें बुलाया. पुलिस ने हमें कुछ हथियार दिखाए और खुलासा किया कि उन्होंने इसे दो उल्फा कार्यकर्ताओं से बरामद किया है।"

उपरोक्त बयान के अलावा, उन्होंने आरोपी व्यक्तियों और उनकी गतिविधियों के बारे में कुछ भी नहीं कहा।

17) पी.डब्ल्यू. 6, ओम छेत्री, जो कोई और नहीं बल्कि पी.डब्ल्यू. 5 का भाई है। उसने बताया कि वह अपने भाई उदय छेत्री के साथ उसी घर में रहता है। पीडब्ल्यू. 5 की तरह, उसने भी बताया कि आधी रात को उसने गोलीबारी की आवाज सुनी, जाग गया और उन दोनों को पुलिस ने बुलाया। उसने यह भी बताया कि पुलिस से हमें पता चला कि दोनों मेहमान उल्फा के सदस्य हैं।

18) जैसा कि अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने सही रुप से इंगित किया गया है कि, हालांकि अभियोजन पक्ष ने दावा किया है कि पी.डब्ल्यू. 5 और पी.डब्ल्यू. 6 महत्वपूर्ण गवाह थे, उनकी साक्ष्य स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि उन्हें आरोपी व्यक्तियों की

गतिविधियों विशेष तौर पर क्या वे उल्फा के सदस्य थे; के बारे में नहीं पता था। यह स्पष्ट है कि पुलिस से ही उन्हें पता चला कि दोनों उल्फा के सदस्य हैं. ऐसी स्थिति में और विशेष रूप से आरोपियों के खिलाफ आरोप के आलोक में, अभियोजन पक्ष की ओर से यह दिखाने के लिए विश्वसनीय और स्वीकार्य साक्ष्य/सामग्री पेश करना उचित है कि आरोपी उल्फा के सदस्य थे जो एक प्रतिबंधित संगठन है। उपरोक्त गवाहों के अलावा, अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में दो और गवाहों को परीक्षित कराया है।

19) एक दुर्गा मोहन ब्रह्मा, पुलिस निरीक्षक, से पी.डब्ल्यू.7 के रूप में पूछताछ की गई है। उसका सम्पूर्ण साक्ष्य पेपर-बुक के पृष्ठ 39-41 से उपलब्ध है। हमने उसी को जांचा. उसने कहीं भी आरोपियों और उल्फा की गतिविधियों के बारे में कुछ नहीं बताया. उसकी साक्ष्य भी अभियोजन के लिए मददगार नहीं हैं.

20) अभियोजन पक्ष की ओर से जांचा गया अगला गवाह पी.डब्ल्यू. 8, भद्र कांता बुरागोबेन है। लगाए गए आरोप से उसका कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि उसके अनुसार, उसने 15.12.1995 को हथियारों और गोला-बारूद की जांच की थी, जिन्हें 08.12.1993 को जब्त किया गया था। हम पहले ही इस तथ्य का उल्लेख कर चुके हैं कि नामित न्यायालय ने स्वयं आरोपी व्यक्तियों को अधिनियम की धारा 5 के तहत आरोप से बरी कर दिया है।

21) अभियोजन पक्ष की ओर से जांचा गया आखिरी गवाह पी.डब्ल्यू. 9 था, जिसका नाम जोगेश बर्मन था। वह प्रासंगिक समय में तेजपुर में उपाधीक्षक मुख्यालय के रूप में कार्यरत था। उसके मुताबिक उसे एसपी सोनितपुर से मामले की जांच पूरी करने का आदेश मिला था. उसने आगे बताया कि सीडी से सामग्री देखने के बाद, उन्होंने दोनों आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया। हालाँकि पी.डब्ल्यू. 9 उपाधीक्षक जिले का एक वरिष्ठ अधिकारी है, उसने उल्फा, उक्त संगठन के साथ आरोपी व्यक्तियों के संबंध और उनकी गतिविधियों आदि के बारे में कुछ भी नहीं बताया।

22) इस प्रकृति के मामले में, विशेष रूप से, धारा 3 की उप-धारा (1) के साथ-साथ धारा 20 ए में दिए गए कड़े प्रावधानों के आलोक में, जो यह अनिवार्य करता है कि इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के घटित होने के बारे में कोई भी जानकारी डी.एस.पी. की पूर्व मंजूरी के बिना पुलिस द्वारा दर्ज नहीं की जायेगी, और कोई भी अदालत पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस आयुक्त की पूर्व मंजूरी के बिना इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी, हमारा विचार है कि पी.डब्ल्यू. 9 डी.एस.पी. को उल्फा संगठन, उसकी गतिविधियों और आरोपी व्यक्तियों के कथित संबंध के बारे में सभी विवरण को स्पष्ट करना चाहिए था। उपरोक्त प्रासंगिक सामग्रियों के बारे में जिले के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी, अर्थात् पुलिस अधीक्षक या समकक्ष अधिकारी की जांच करना

अभियोजन पक्ष का परम कर्तव्य है। हमने टाडा अधिनियम की धारा 3(1) के तहत मुकदमा शुरू करने से पहले पूरी की जाने वाली प्रासंगिक सामग्रियों और शर्तों पर पहले ही प्रकाश डाल दिया है। हालाँकि अभियोजन पक्ष के अधिकांश गवाहों ने हथियारों और गोला-बारूद की जब्ती की बात कही थी और अभियुक्तों पर धारा 5 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था, जो निर्दिष्ट क्षेत्रों में अनधिकृत हथियारों आदि के कब्जे के बारे में बात करता है, नामित अदालत ने उन्हें उक्त आरोप से बरी कर दिया और स्वीकृत रुप से राज्य ने कोई अपील नहीं की है।

23) उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर और धारा 3(1) को आकर्षित करने के लिए सख्त अनुपालन के आलोक में, टाडा अधिनियम की धारा 3(1) के तहत दोषसिद्धि और धारा 3 की उपधारा 2(ii) के तहत दी गई सजा कायम नहीं रखी जा सकती। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि अभियोजन पक्ष दोनों आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप को स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहा है। नामित न्यायालय ने पी.डब्ल्यू. 5 व 6 द्वारा उल्फा के मात्र संदर्भ के आधार पर अभियोजन मामले को स्वीकार करने में त्रुटि की है। वास्तव में, उन दोनों ने कहा है कि यह पुलिस ही थी जिसने खुलासा किया कि उन्होंने दो उल्फा पुरुषों से कुछ हथियार बरामद किए हैं और यह उनका अपना दावा नहीं है। न तो पी.डब्ल्यू. 5 और 6 और न ही पुलिस उपाधीक्षक सहित शेष सात पुलिस कर्मी जिनसे पूछताछ की गई; ने प्रतिबंधित संगठन - उल्फा और अधिनियम की धारा 3(1) के संदर्भ में

आरोपी व्यक्तियों की कथित गैरकानूनी गतिविधियों के बारे में कोई शब्द कहा। नामित न्यायालय द्वारा इन भौतिक पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया गया है।

24) ऊपर बताए गए कारणों से, दोनों अपीलें सफल होती हैं और एतद्द्वारा स्वीकार की जाती हैं। टाडा अधिनियम की धारा 3(1)(2)(ii) के तहत अपीलकर्ताओं की सजा और जुर्माने को रद्द कर दिया गया है। यदि किसी अन्य अपराध में आवश्यक न हो तो अपीलकर्ताओं को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

के.के.टी. अपील स्वीकृत।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायत से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **अजय प्रताप सिहं,** (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंगे्रजी संस्करण ही मान्य होगा।